

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II,
Dated 7th June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Majathal

Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F(6)23/99 dated 23.10.99, to declare **Majathal as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 40 Sq.Km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of the final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with regard to the proposed rationalization of boundaries of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Majathal Wildlife Sanctuary out of actual ground area of 39.39 sq. km, 8.53 sq. km area (comprising of 11 villages list attached as Annexure-I) is hereby denotified. The remaining area of 30.86 sq. km shall constitute the Majathal Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid remaining area of 30.86 sq. km as '**Majathal Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of the Majathal Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr.No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Majathal Wildlife Sanctuary
1.	Majathal Wildlife Sanctuary	i) Solan & Shimla ii) Shimla (WL Division)	<p>NORTH: From meeting point of Jandrar Dhar in Satluj River then along Satluj River upstream upto Mandrech confluence of Sainj Khad & Satluj River.</p> <p>EAST: From Mandrech point of confluence of Satluj River and Sainj Khad then along khad upstream along Darwakot ridge up to the footpath of Harsang Temple via Parma dhar.</p> <p>SOUTH: From footpath of Harsang temple Parmadhar, along the ridge via Kalortu village separating cultivation and Forest. Then along the forest boundary of Harsang PF near Saryali village then across the Pazina Khad and along the forest boundary and dehat of Chaloni upto point 1883 mtr. then further along the ridge and boundary of DPF Majathal via Tansi upto near Surag Dwari peak 1965 mtr.</p>

			WEST: From the Surag- Dawari point 1965 mtr.along the DPF Jandrardhar via Jhadowi down to the Satluj River meeting point of Jandrardha in Satluj River.
--	--	--	--

This area is situated within the Geo-coordinates **North** Lat.31°18'47"N & Long.76°58'21"E **East** Lat.31°16'12"N & Long.77°02'25"E, **South** Lat.31°15'03"N & Long.77°02'17"E **West** Lat.31°18'07"N & Long.76°56'26"E which falls on Survey of India topo sheet No. 53 A/15 & 53 E/3 on scale 1: 50000.

Area of Majathal Wildlife Sanctuary= 30.86 sq. km


By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

List of villages excluded from Majathal Wildlife Sanctuary

Sr. No.	Name of village
1.	Rudal
2.	Saryali
3.	Pazina
4.	Paryab
5.	Sohra Kaneta
6.	Khalli
7.	Banli
8.	Bambeli
9.	Dhar Parli
10.	Dhar Warli
11.	Sewra

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II मजाथल तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-23/99 तारीख 23-10-1999 द्वारा 40.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र मजाथल को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न0 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न0 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में

वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और मजाथल वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप मौके पर भू-क्षेत्र 39.39 वर्ग किलोमीटर में से 8.53 वर्ग किलोमीटर (जिसमें 11 गांव पड़ते हैं की सूची उपाबन्ध-1 के अनुसार) को एतद्द्वारा अभ्यारण्य में से निकाल दिया जाता है। युक्तिकरण के पश्चात् मजाथल वन्य जीव अभ्यारण्य 30.86 वर्ग किलोमीटर के शेष क्षेत्र से गठित होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 30.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से मजाथल वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती हैं।

मजाथल वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	मजाथल वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	मजाथल	i) सोलन एवं शिमला ii) शिमला (वन्य जीव) मण्डल	उत्तर: जंदरेर धार के सतलूज नदी में मिलान बिन्दु से सतलूज नदी के साथ साथ ऊपर की ओर मंदरेच के पास सैज खड और सतलूज नदी के मिलान तक। पूर्व: सतलूज नदी और सैज खड के मिलान बिन्दु मंदरेच से सैज खड के साथ साथ ऊपर की तरफ दरवाकोट धार के साथ साथ हरसंग मन्दिर के नजदीक परमा धार तक। दक्षिण : हरसंग मन्दिर के नजदीक परमा धार से धार पर कलोरटू गांव की निजि भूमि को बाहर करते हुए हरसंग संरक्षित वन सीमा के साथ-साथ रुदाल, सरयाली, पंजिना गांव को बाहर करते हुए पंजिना खड को पार कर के वन सीमा गांव चालौनी देहात व वन सीमा के साथ साथ बिन्दु 1883 मी0 फिर आगे धार पर

			<p>मजाथल संरक्षित वन सीमा पर तांसी होते हुए सरगदवारी चोटी 1965 मी0 के निकट तक ।</p> <p>पश्चिम: सरगदवारी चोटी 1965 मी0 के निकट से जंदरेर धार पर नीचे की ओर झड़ोई होते हुए जंदरेर धार के सतलूज नदी में मिलान बिन्दु तक ।</p>
--	--	--	---

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश 31° 18' 47" उत्तर और देशान्तर 76° 58' 21" पूर्व । पूर्व अक्षांश 31° 16' 12" उत्तर और देशान्तर 77° 02' 25" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 31° 15' 03" उत्तर और देशान्तर 77° 02' 17" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 31° 18' 07" उत्तर और देशान्तर 76° 56' 26" पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ए/15 और 53ई/3, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफल: 30.86 वर्ग कि0मी0

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि ।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल/ वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।

अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध-I

मजाथल वन्य जीव अभ्यारण्य से बाहर निकाले गये गांवों के नाम

क्र०सं०	गांव के नाम
1	रुढाल
2	सरयाली
3	पजिणा
4	परयाव
5	सोहरा कनेता
6	खाल्ली
7	बानली
8	बम्बेली
9	धार पारली
10	धार वारली
11	सेओड़ा